

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

विविध आदेश

क्रमांक 44 / दो-12-2/09

उमरिया, दिनांक 31.07.2020

माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के परिपत्र क्रमांक बी/2798 जबलपुर दिनांक 31.07.2020 के अनुसार समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के लिए लिमिटेड फंक्शनिंग की अवधि 04 अगस्त से 08 अगस्त 2020 तक के लिए वृद्धि कर दी गई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक व्यू/12 दिनांक 04.05.2020, क्रमांक डी/2377 दिनांक 27.06.2020, बी/2655 दिनांक 24.07.2020 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के आलोक में कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

न्यायिक जिला स्थापना, उमरिया में नियमित न्यायालय संघालित न होकर कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक व्यू/दो-12-2/09 दिनांक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्रमांक 30 दिनांक 27.06.2020 तथा विविध आदेश क्रमांक 39 / दो-12-2/09 उमरिया दिनांक 22.07.2020 (छायाप्रति संलग्न है) के द्वारा सीमित न्यायालयीन कार्य निष्पादित करने हेतु विस्तृत आदेश पूर्व में पारित किये जा चुके हैं, इसलिए उक्त आदेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों को भी आगामी अवधि दिनांक 04.08.2020 से 08.08.2020 तक लागू किया जाता है, इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी ज्ञापन, परिपत्र एवं विविध आदेशों में दिये गये निर्देशों के आलोक में ही न्यायालयीन कार्य सम्पादित किये जायेंगे ।

रजिस्ट्री द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्रों के संदर्भ में यदि कोई न्यायालय परिसर का क्षेत्र, कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है कि तो वह न्यायालय परिसर कंटेन्मेंट मुक्त होने तक बंद रहेगा और उस न्यायालय के अति आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार संबंधित न्यायाधीश द्वारा अपने घर से वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से सम्पादित किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का घर कंटेन्मेंट क्षेत्र में आता है तो वह न्यायाधीश न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक कि वह क्षेत्र कंटेन्मेंट से मुक्त नहीं हो जाता है ।

अतः न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया
3. समस्त न्यायालयों से पीठासीन अधिकारीगण, जिला उमरिया
4. समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला उमरिया
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
6. कलेक्टर, जिला उमरिया
7. पुलिस अधीक्षक, उमरिया
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ उमरिया/विरसिंहपुर पाली/मानपुर
9. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया
10. लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक, उमरिया
11. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया
12. जेल अधीक्षक, जिला जेल उमरिया
13. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उमरिया
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उमरिया
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उमरिया
16. प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर, जिला न्यायालय उमरिया
17. सिस्टम ऑफीसर/आई.टी. असिस्टेन्ट/डी.एस.ए. जिला न्यायालय उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)